



दिनांक 06.11.2022

प्रेस विज्ञप्ति 06 / 2022

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद गाजीपुर/थाना दुल्लहपुर/थाना बिरनो

- लूट की घटना का अनावरण
- पुलिस कार्यवाही में 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार
 - लूट के 01 लाख 05 हजार रुपये नगद
- 02 अवैध तमंचा 02 जीवित, 02 खोखा कारतूस
- 01 मोटर साइकिल आदि बरामद

दिनांक 05.11.2022 को थाना दुल्लहपुर की पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मलेठी मोड़ के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग करते हुए थाना बिरनो की तरफ भागे। जिसकी सूचना कन्ट्रोल रूम को देते हुए बदमाशों का पीछा किया गया तथा सूचना पर थाना बिरनो व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा जयरामपुर के पास चेकिंग के दौरान बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त अरविन्द कुमार घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2-प्रिंस कुमार सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 01 लाख 05 हजार रुपये नगद, 02 अवैध तमंचा 02 जीवित, 02 खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि थाना बिरनो क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बिरनो पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त अरविन्द कुमार के विरुद्ध जनपद गाजीपुर, मऊ के विभिन्न थानों में हत्या का प्रयास, लूट, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 10 अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया उक्त लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना दुल्लहपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—अरविन्द कुमार निवासी अहियाचक थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ।
- 2—प्रिन्स कुमार निवासी बिलावल भट्टी थाना बिरनो जनपद गाजीपुर।

बरामदगी

- 1—लूट के 01 लाख 05 हजार रुपये नगद।
- 2—02 अवैध तमंचा 02 जीवित, 02 खोखा कारतूस।
- 3—01 मोटर साइकिल आदि।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना बिसरख

- पुलिस कार्यवाही में 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार
 - लूट की सोने की चौन
 - लूट की 01 मोटर साइकिल
- 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित, 02 खोखा कारतूस आदि बरामद

दिनांक 05.11.2022 को थाना बिसरख पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त हिमांशु 2—मोहित घायल हो गये, जिन्हे गिरफ्तार किया गया। एक अन्य बदमाश मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट की सोने की चौन, लूट की 01 मोटर साइकिल, 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित, 02 खोखा कारतूस आदि बरामद हुए। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनके विरुद्ध जनपद मुजफ्फरनगर, मेरठ व कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानों में हत्या का प्रयास, लूट, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट आदि के 06-06 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण, मोटर साइकिल लूट की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना बिसरख पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1-हिमांशु निवासी शकुन्तला विहार थाना मवाना जनपद मेरठ।
- 2-मोहित निवासी रामपुरी थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी

- 1-लूट की सोने की चौन।
- 2-लूट की 01 मोटर साइकिल।
- 3-02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित, 02 खोखा कारतूस आदि।

जनपद पीलीभीत / थाना गजरौला

- पुलिस कार्यवाही में 10 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार
- 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद

दिनांक 06.11.2022 को थाना गजरौला पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अमृतपुर रोड के पास से पुलिस कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त सदाम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद गजरौला के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, धोधाधड़ी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 10 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना गजरौला पर पंजीकृत मु0अ0सं0 375/2022 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना गजरौला पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सदाम निवासी ग्राम तालगाँव थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 01 खोखा कारतूस।

जनपद मुरादाबाद/थाना सिविल लाइन

- 01 अभियुक्त गिरफ्तार
- लूट के 10 हजार रूपये नगद
- 01 मोबाइल फोन बरामद

दिनांक 05.11.2022 की रात्रि थाना सिविल लाइन पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अभियुक्त विवेक सागर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लूट के 10 हजार रूपये नगद, 01 मोबाइल फोन बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 24.08.2022 को थाना सिविल लाइन क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सिविल लाइन पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रूपया उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—विवेक सागर निवासी निकट शिव सैनी मन्दिर हरथला थाना सिविल लाइन जनपद मुरादाबाद।

बरामदगी

1—लूट के 10 हजार रुपये नगद।

2—01 मोबाइल फोन।

जनपद लखीमपुर खीरी / थाना कोतवाली सदर

- 05 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार
- चोरी की बैट्री, मोबाइल फोन, नगद रुपये
 - चोरी करने के उपकरण
- 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस
- घटना में प्रयुक्त 01 स्विफ्ट कार आदि बरामद

दिनांक 06.11.2022 को थाना कोतवाली सदर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर महेवा मोड़ के पास से 05 शातिर अभियुक्तों 1—सुनील 2—आशीष 3—सोनू 4—साहिल उर्फ हैप्पी 5—हिमांशु को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की बैट्री, मोबाइल फोन, नगद रुपये, चोरी करने के उपकरण, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 स्विफ्ट कार आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनसे बरामद बैट्री आदि लूट/चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली सदर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1-सुनील निवासी ग्राम जमुनिया थाना सुजौली जनपद बहराइच।
- 2-आशीष निवासी चौपडा कालोनी थाना मकसूदा जनपद जलंधर पंजाब।
- 3-सोनू निवासी बस्तीबाबा खेर थाना बाबाखेर जनपद जलंधर पंजाब।
- 4- साहिल उर्फ हैप्पी निवासी रतननगर थाना त्रिपडी टारुन पटियाला पंजाब।
- 5-हिमांशु निवासी जमुनिया थाना सुजौली जनपद बहराइच।

बरामदगी

- 1-चोरी करने के उपकरण।
- 2-01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस।
- 3-घटना में प्रयुक्त 01 स्विफ्ट कार आदि।

जनपद चित्रकूट/थाना कोतवाली कर्वी

- 01 अभियुक्त गिरफ्तार
- धोखाधड़ी के 01 लाख 05 हजार रुपये नगद
- 02 फिंगर प्रिन्ट स्कैनर, 01 मोबाइल फोन, बैंक पासबुक आदि बरामद

दिनांक 05.11.2022 को थाना कोतवाली कर्वी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अभियुक्त राजाराम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से धोखाधड़ी के 01 लाख 05 हजार रुपये नगद, 02 फिंगर प्रिन्ट स्कैनर, 01 मोबाइल फोन, बैंक पासबुक आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो सिम को पोर्ट करने के नाम से फिंगर प्रिन्ट स्कैनर डिवाइस पर फिंगर प्रिन्ट लेकर किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर वादी की सिम को रजिस्टर्ड कर नई यूपीआई आईडी का निर्माण कर धोखाधड़ी से रुपये निकाल लेने की घटना कारित करता है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली कर्वी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—राजाराम निवासी गिदवहा थाना मड़ावरा जनपद ललितपुर।

बरामदगी

1—धोखाधड़ी के 01 लाख 05 हजार रुपये नगद।

2—02 फिंगर प्रिन्ट स्कैनर, 01 मोबाइल फोन, पासबुक आदि।

जनपद आजमगढ़/थाना फुलपुर

- 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार
- चोरी की 05 मोटर साइकिल
- 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित कारतूस बरामद

दिनांक 06.12.2022 को थाना फुलपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जगदीशपुर मोड़ के पास 02 शातिर अभियुक्तों 1—ज्ञानप्रकाश उर्फ ज्ञानू 2—मो0आकिब उर्फ विस्मिल्ला को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 05 मोटर साइकिल, 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनके द्वारा आसपास के थाना क्षेत्रों से दो पहिया वाहनो की चोरी कर नम्बर प्लेट बदलकर ग्राहक मिलने पर बेच देते हैं। गिरफ्तार अभियुक्त ज्ञानप्रकाश उर्फ ज्ञानू के विरुद्ध जनपद आजमगढ़ के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, लूट, एनडीपीएस एक्ट, आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 15 अभियोग एवं अभियुक्त मो0आकिब उर्फ विस्मिल्ला के विरुद्ध जनपद आजमगढ़ के विभिन्न थानो में चोरी, आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना फुलपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—ज्ञानप्रकाश उर्फ ज्ञानू निवासी जगदीशपुर थाना फुलपुर जनपद आजमगढ़।
- 2—मो०आकिब उर्फ विस्मिल्ला निवासी मकसुदिया थाना फुलपुर जनपद आजमगढ़।

बरामदगी

- 1—चोरी की 05 मोटर साइकिल।
 - 2—02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित कारतूस।
-